

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०-६ / एन०-०८-०२ / २०२३—.....

/ पटना-१५, दिनांक—.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-५९९(6), दिनांक-१२.०४.२०२३ द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४(ii) के आलोक में कोशी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, कटिहार सेवा सदन, हॉस्पीटल रोड, विनोदपुर, कटिहार द्वारा प्रस्तावित कटिहार बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, नियर के०एम०सी०एच०, भेरिया रहिका, वार्ड नं०-४, दलन, कटिहार को पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

२ — विभागीय आदेश ज्ञापांक-१०११(6), दिनांक-२७.०६.२०२३ द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के पत्रांक-३३३/अ०नि०को०, दिनांक-२१.११.२०२३ द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

३ — विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त कटिहार बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज, नियर के०एम०सी०एच०, भेरिया रहिका, वार्ड नं०-४, दलन, कटिहार को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४ (iii) के आलोक में पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में ६० (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से ५०% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१ से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

४ — इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(शैलेश कुमार)

उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
क्रमा

ज्ञापांक : 6 / एन०-०८-०२ / २०२३ । १६।(६)

पटना दिनांक । १२।०१।२०२४

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, ८वां तल्ल, एन०बी०सी०सी० सेंटर, प्लॉट नं०-२, कम्पूनिटी सेंटर, ओखला फेज-०१, नई दिल्ली-११००२०/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१/आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, कोशी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, कटिहार सेवा सदन, हॉस्पीटल रोड, विनोदपुर, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ

12।०१।२४
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।